Regarding safety of women in Rajasthan

श्री हनुमान बेनीवाल **(नागौर) :** सभापति महोदय, मैं आज सदन में बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के मामले चिंता के विषय हैं । महोदय, राजस्थान सहित देश में महिलाओं और छोटी बच्चियों की सुरक्षा को ले कर जो आंकड़े एनसीआरबी ने वर्ष 2023 में जारी किए, राजस्थान वर्ष 2022 में महिला अपराधों में अव्वल था । इसके बावजूद कोई व्यापक सुधार ऐसे अपराधों को कम करने के लिए नहीं किए गए हैं । सभापति महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा । अब मैं आंकड़ों पर आ रहा हूं । वर्ष 2024 में राजस्थान के अंदर 36,299 महिला अपराध से जुड़े मामले दर्ज किए गए । इनमें 21 मामले ऐसे थे, जिनमें रेप के बाद महिलाओं की हत्या कर दी गई । गैंगरेप के 824 मामले दर्ज हुए । छोटी बच्चियों से बलात्कार के 14 मामले दर्ज किए गए । 124 मामले ऐसे हैं, जिनमें से 71 मामले में एफआईआर दर्ज हुई । दहेज हत्या एवं आत्महत्या के 38 मामले सामने आए हैं । क्या ये संख्याएं पूरी सच्चाई बयां नहीं करती हैं, यह सोचने का विषय है ।? (व्यवधान)

महोदय, मैं सुझाव देकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा । महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर सरकार तेजी से न्याय सुनिश्चित करे । रेप और हत्या के गंभीर मामलों में फार्स्ट कोर्ट के जरिए जल्दी से जल्दी न्याय दिया जाए । पुलिस व्यवस्था में सुधार हो । पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर देनी चाहिए । जो अधिकारी कार्रवाई करने में देरी करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए ।

सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन था कि राजनीतिक हस्तक्षेप सबसे ज्यादा बढ़ता है । 52 प्रतिशत बच्चों के भविष्य की चिंता में लोग यह बताते ही नहीं हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, 29.9 प्रतिशत आर्थिक निर्भरता से बंधी होती है ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आपकी बात आ गई है ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** हनुमान जी, अब आप अपनी मांग कीजिए ।

श्री हनुमान बेनीवाल **:** सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं । मेरा निवेदन है कि ऐसे गंभीर मामलों के अंदर सदन का भी ध्यान जाना चाहिए । अभी लोक सभा की कार्यवाही चल रही है । हमारे देश की बेटियां व महिलाएं न्याय की उम्मीद लगाकर बैठी हैं ।? (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार इसका संज्ञान ले और इस तरह की गंभीर मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाए ।